भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2977

20 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

धान की खरीद

2977. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खरीदे गए धान की राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की किसानों से उत्पादन लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय पूल के तहत खरीदे गए धान का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): भारत सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम रिटर्न के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।

राज्य सरकार की एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) विनिर्देशों के साथ धान खरीदते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मजबूरन बिक्री का सहारा न लेना पड़े। तथापि, यदि किसानों को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2977 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में धान की खरीद का राज्यवार विवरण

खरीद के आकड़े लाख टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23
आंध्र प्रदेश	84.57	66.58	41.13
तेलंगाना	141.09	110.35	131.86
असम	2.12	5.66	5.98
बिहार	35.59	44.90	42.05
चंडीगढ़	0.28	0.27	0.19
छत्तीसगढ़	71.07	92.01	87.53
गुजरात	1.10	1.22	1.77
हरियाणा	56.55	55.32	59.36
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.28	0.14
झारखंड	6.29	7.53	1.72
जम्मू एवं कश्मीर	0.38	0.41	0.34
कर्नाटक	2.06	2.19	0.21
केरल	7.65	7.48	7.31
मध्य प्रदेश	37.27	45.83	46.30
महाराष्ट्र	18.99	18.32	18.47
ओडिशा	77.33	71.04	79.16
पंजाब	202.82	187.28	182.11
राजस्थान	0.00	0.07	0.00
त्रिपुरा	0.24	0.58	0.45
तमिलनाडु	44.90	27.58	33.83
उत्तर प्रदेश	66.84	65.53	65.50
उत्तराखंड	10.72	11.56	8.96
पश्चिम बंगाल	27.79	35.31	32.08
कुल	**895.65**	**857.30**	**846.45**